AGRICULTURE DEPARTMENT

CORRIGENDUM

The 22nd June, 1984

In Haryana Government, Agriculture Department, notification No. 2103-Agri. II(5)-81/5830, dated the 24th April, 1981, published in *Haryana Government Gazette (Extra ordinary)*, dated the 24th April, 1981.

(i) *for* "233/19 min" *read* "233/19 Min West North"

(ii) *for* "233/22" *read* "233/22 Min West".

G. L. BAILUR,
Secretary to Government, Haryana,
Agriculture Department.

विकास तथा पंचायत विभाग

दिनांक 26 मार्च, 1984

सं० 2091.—हरियाणा पशु मेला अधिनियम, 1970 की धारा 2 के खंड (ध) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित पशु मेला अधिकारियों को प्रत्येक के सामने लिखित जिलों की अधिकारिता के बारे में उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (3) तथा हरियाणा पशु मेला नियम, 1970 के नियम 9 के उपनियम (2) तथा (4) के अधीन/उपायुक्त की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त करते है: —

क्रमांक	पशु मेला/अधिकारी का नाम	जिले
1.	पशु मेला अधिकारी, करनाल	करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और जीन्द
2.	पशु मेला अधिकारी, हिसार	हिसार, भिवानी और सिरसा
3.	पशु मेला अधिकारी, रोहतक	रोहतक और सोनीपत
4.	पशु मेला अधिकारी, नारनौल	नारनौल, गुड़गांवा और फरीदाबाद।

हरियाणा पशु मेला नियम, 1970 के नियम 9 के उपनियम (5) तथा (7) के अधीन पशु मेला अधिकारी अग्रदाय धन निकालते रहेंगे और उनके लेखे अपने अपने उपायुक्तों की संवीक्षा के अधीन होंगे ।

ये आदेश हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभागों की अधिसूचना सं० 1161-सी०एफ०सी०-76/4603, दिनांक 20 जून, 1976 के अधिक्रमण में होंगे और ये तुरन्त लागू होंगे।

जे० डी० गुप्ता,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

श्रम विभाग

दिनांक 19 जून, 1984

सं० 12(208)82-2 श्रम.—निम्नलिखित प्रारूप संशोधन जिसे हरियाणा के राज्यपाल बालक नियोजन अधिनियम, 1938 की धारा 3क द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम में करने का प्रस्ताव करते हैं। उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है ।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तिथि से तीन मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद सरकार द्वारा प्रारूप संशोधन पर उन आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों जो सचिव,

हरियाणा सरकार, श्रम तथा रोजगार विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़, द्वारा किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्रारूप संशोधन के सम्बन्ध में प्राप्त किए जाएं, विचार किया जाएगा:—

प्रारूप संशोधन

बालक नियोजन अधिनियम, 1933 की अनुसूची में प्रविष्टि 10 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी अर्थात:—

"II—भवन तथा निर्माण उद्योग"

एम० सेठ,
संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग ।

दिनाक 21 जून, 1984

सं .ओ.वि./एफ.डी./62-84/22275.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० नाईटेक्स आटो इण्डस्ट्रीज 12/2 माईल स्टोन मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राम करन तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढते हुए अधिसूचना सं 11495-जी-श्रम-57/11245 दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते ह जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री राम करन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि./हिसार/51-84/22282.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. हरियाणा प्रर्यटन निगम लि., चण्डीगढ़, के श्रमिक श्री बहादुर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ. (ई)श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री बहादुर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ?

सं.ओ.वि./सोनीपत/1-84/22288.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि प्रशासक नगर, पालिका, सोनीपत, के श्रमिक श्री राम कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641–1–श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864–ए.एम. ओ.(इ) श्रम–70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राम कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?